

प्रेमक,

श्री ज्योति नांगली,
समुदाय कर्मिणी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जिखा केन्द्र 2 मन्दाय केन्द्र,
प्रतिष्ठित विचार नहीं दिल्ली ।

शिक्षा 174 अनुभाग

संलग्न: दिनांक: 10 मार्च, 1998

विषय:- श्री. गुरराम राम पब्लिक स्कूल जोधार पौड़ी मन्दाय को सी0डी0एल0डी0 नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि श्री गुरराम राम पब्लिक स्कूल जोधार पौड़ी मन्दाय को सी0डी0एल0डी0 नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 शिक्षा विभाग की पंजीकृत सीतापौड़ी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 शिक्षा विभाग की प्रचलित शिष्टाचार निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 शिक्षा विभाग में हम से हम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघटित शिक्षा विभागों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद से किसी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा शिक्षा विभाग की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फंड दि. इन्फि. एन. स्कूल सर्वोपयोगी उपकरणों के नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिसर परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था केवल एवं शिक्षा विभाग कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से हमें वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगतक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभागों के कर्मचारियों की अनुमत्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा राज्य सभ्य पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यमान का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि :-

11। विद्यमान में कार्यरत शिक्षित कर्मचारियों को भी वेतन मानकानुसंग व बँक के माध्यम से दिया जायेगा ।

12। समस्त कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ योजना लागू करके पालन को अग्रगत कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रावधानों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक वा गिफितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

13/11/15-7-1998
संयुक्त सचिव ।

पुणे 111/15-7-1998 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक आदेशों से प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- सचिव संघ का शिक्षा निदेशक पौड़ी गढ़वाल ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी गढ़वाल ।

4- निरीक्षक, उच्च मातृवीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, श्री सुराम राय पब्लिक स्कूल बोडर पौड़ी गढ़वाल ।

आज्ञा है,

[Signature]

13/11/15-7-1998
संयुक्त सचिव ।